रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 22, 1993/आश्विन 30, 1915
No. 632] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 1993/ASVINA 30, 1915

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कलकत्ता, 22 अक्तूबर, 1993

का. आ. 815(अ) :– पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 में प्रदत्त शक्तियों के सहृत दिनांक 25 सितम्बर, 1973 के पूर्व वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार (विदेश व्यापार विभाग) सं. एस. ओ. 517(ई) की अधिसूचना के अनुरूप मैं डी. गुप्त, पटसन उपायुक्त एतद्द्वारा बी. ट्वील्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज 112.4 से. मीटर × 67.5 से. मी. साम्य वजन सिला किनारा 112.00 से. मीटर एच. डी. 1020 ग्राम प्रति बोरा 6 × 8, 3–नीले शुष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान (भा. मा. 2566– 1984 अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, की अधिकतम बहिर्निर्माणी कीमत 1369.83 रुपये प्रति एक सौ बोरे नियत करता हूं, इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय माह अक्तूबर, 1993 के दौरान किया जाएगा।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एक मात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय होगी, विक्रय कर जो क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिर्निर्माणी कीमत के अतिरिक्त देना होगा।

[फा. स. 8/3/93—जूट]

डी. गुप्त, पटसन उपायुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Calcutta, the 22nd October, 1993

S.O. 815(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licencing & Control) Order, 1961 read with the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce (Department of Foreign Trade) No. S.O. 517(E), dated the 25th September, 1973, I, D. Gupta, Deputy Jute Commissioner hereby fix Rs. 1,369.83 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twill (a variety of Jute Textiles) of the size 112.4 cms. × 67.5 cms. Hd. W.I.P. 112 cms. Hd. 1020 Gms. per bag 6 × 8, 3 blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS : 2566-1984 as amended up-to-date) shall be purchased or sold during the month of October, 1993.

2. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act 1983 and sale tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8|3|93-Jute]

D. GUPTA, Dy. Jute Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993